VOL- VIII ISSUE- IV APRIL 2021 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 7.149 ISSN 2349-638x

जनजातियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में शासकीय योजनाओं का मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

आनन्द कुमार सिंह
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)

''जनजाति'' आदिवासी या अनेक तत्सम शब्दों से भले ही किसी भी क्षेत्र के भूमि पुत्रों का बोध होता हो, ये शब्द हमारे अपने समाज में अब दो अर्थों में प्रयुक्त होने लगे हैं। अकादमिक संदर्भ में जनजातियों को भले ही सबसे निरीह समूह माना जाय, अन्तर्राष्ट्रोय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग अब कूटनीति के सबसे सशक्त मोहरे के लिये किया जा रहा है।[1] महाद्वीपों के दुर्गम में आज भी ऐसे अनेक मानव-समूह हैं जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाये हुए है। ये मानव समह बीहड़ बनो, मरुस्थलों, ऊँचे पर्वतों और अनुर्वर पठारों के उस अंचलों में निवास करते हैं जिन्हें आधुनिक समाज की अर्थदृष्टि अनुत्पादक मानती है। इस मानव समूहों का अपना अनुल्लिखित इतिहास था, जिसका केवल अन्तिम पृष्ठ ही शेष रह गया है और उसमें यह लिखा है कि न जाने किस समय यह समूह छोटे-छोटे ऐसे कबीले में बट गया जिनमें एक दूसरे की पहचान और रिश्तों डोरी या तो टूट चुकी है या उलझ चुकी है। हिन्दी में ऐसे मानव समूहों के लिये **'आदिवासी'**, **'आदिमवासी'**, **'कबीला आबादी'** और **'जनजाति'** जैसे सम्बोधन हैं। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा में ''नेटिव'', एबोरिजनल'' और ''ड्राइव'' (या ट्राइबल) शब्दों के पर्याय हैं।[2]

जनजाति जनांकिकी-

भारतीय संविधान मे 550 विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के पूर्व सन् 1941 की जनगणना के आधार पर भारतीय जनजातियों की कुल जनसंख्या 2,47,12000 थी, तथा विभाजन के बाद वर्ष 1951 मे यह संख्या घटकर 1,91,16,498 रह गई जो तत्कालीन देश की कुल जनसंख्या का 5.36 प्रतिशत थी। सन् 1961 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर देश में जनजातियों की कुल संख्या 29883470 थी जिसमें से 15040707 पुरुष तथा 1482763 महिलायें थीं। यह संख्या कुल जनसंख्या का 6.81 प्रतिशत थी। वर्ष 1971 मे यह जनसंख्या 38015162 थी जो कुल जनसंख्या का 6.90 था। वर्ष 1981 मे यह प्रतिशत बढ़कर 7.85 प्रतिशत हो गया।[3]

देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत भाग जनजातीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत भाग जनजातीय समुदाय का है। ये लोग देश के लगभग 15 प्रतिशत भाग में बहुसंख्यक हैं। वर्ष 2001 में जनजातियों की कुल जनसंख्या 12233474 थी जिसमे 6195240 पुरुष एवं 6038234 महिलायें थीं।

जनसंख्या की दृष्टि से देश मे कुल 522 जनजातीय समूह हैं, जिनमें 9 आदिवासी समूह बहुसंख्यक जनजातीय समुदाय मे प्रथम स्थान पर भील, द्वितीय स्थान पर गोंड़, तृतीय स्थान पर संथाल, चतुर्थ स्थान पर उरॉव, एवं पंचम स्थान पर मीणा जनजाति है। वर्ष 1991 मे देश मे 48 लाख गोंड़ जनजाति थी।[4]

भारत के हृदय स्थल मे स्थित मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण 01 नवम्बर 1956 को महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा राजस्थान के सिरोज डिवीजन को मिलाकर किया

गया। इसका भौगोलिक विस्तार 18^0 से $260^030'$ उत्तरी अक्षांश तथा 740 से $80^030'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। निर्माण के समय प्रदेश का क्षेत्रफल 44345 वर्ग कि.मी. था।

जनजातियों के शैक्षिक प्रगति हेतु शासकीय एवं व्यक्तिगत प्रयास–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य शासन की यह जिम्मेदारी है कि कमजोर वर्गो विशेषकर आदिवासियों की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में तेजी से विस्तार करे। भारतीय संविधान में निहित इस भावना के अनुकूल राज्य शासन का आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक गतिविधियो का संचालन कर रही है। जो निम्न है–

संभागीय आवासीय विद्यालय–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय विषयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें 60 पतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस विद्यालय में योग्य शिक्षक के द्वारा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही आवासीय व्यवस्था निःशुल्क विघुत, पानी, पुस्तकालय, भोजन व अन्य सुविधा प्रदान किया जाता है।

उत्कृष्ट छात्रावास योजना–

अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 6 से 12वीं तक मेघावी छात्राओं की उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से जिला एवं बाल विकास खण्ड पर 50–50 सीट बालक व कन्या छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इसमें आवास, भोजन, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण, पुस्तकालय, खेलकूद आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

छात्रावास/आश्रम शालाएँ–

प्री मैट्रिक छात्रावास–

इन छात्रावासों में कक्षा 6 से 10 तक के छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। यह छात्रों के लिए 8 किलोमीटर तथा छात्राओं के लिए 3 किलोमीटर घर से दूरी का बंधन है। इन में प्रवेशित बालक को 675.00 रूपया छात्रवृत्ति व बालिका को 700.00 रूपया प्रतिमाह शिक्षावृत्ति 10 माह प्रदान की जाती है। साथ ही आवास, भोजन, विघुत, पानी, पुस्तकालय निःशुल्क प्रदान की जाती है।

आश्रम शालाएँ–

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम शालायें संचालित की गई है। इसमें 1 से 8 वीं तक बालक प्राथमिक आश्रम शालाएँ व कन्याओं के लिए कन्या प्राथमिक शालाएँ संचालित है। इसमें प्रवेशित छात्रों को 675.00 रूपया प्रतिमाह शिक्षावृत्ति बालकों को 700.00 रूपया प्रतिमाह तक प्रदान किया जाता है।

पोस्ट मट्रिक छात्रावास–

कक्षा 11वीं से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बालक व पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं आदिवासी विकास द्वारा संचालित है। इसम आवास, विघुत, पानी, पुस्तकालय निःशुल्क व्यवस्था है। छात्रों को आगमन भत्ता प्रदान किया जाता है।

छात्रगृह योजना–

छात्रगृह योजना का उद्देश्य मैटिकोत्तर कक्षा में पढ़ाने वाले जनजातीय छात्रों के लिए है कि अगर छात्रावास में स्थान रिक्त होने के कारण यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए पाँच या उससे अधिक छात्रों को एक साथ निवास करने के लिए छात्रगृह की सुविधा दी जाती है। इसमें रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा भवन का किराया, बिजली, पानी का भुगतान किया जाता है।

राज्य छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक)–

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है जो निम्न सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी क्रमांक 1
अध्ययन क्षेत्र में छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

क्र.	वर्ग	कक्षा	छात्र	छात्रा
01	अनुसूचित जाति	कक्षा 1 से 5 तक	–	150
		कक्षा 6 से 8 तक	200	300
		कक्षा 9 से 10 तक	600	800
02	अनुसूचित जनजाति	कक्षा 1 से 5 तक	–	150
		कक्षा 6 से 8 तक	300	400
		कक्षा 9 से 10 तक	600	800
03	पिछड़ा वर्ग	कक्षा 6 से 8 तक	200	300
		कक्षा 9 से 10 तक	300	400

स्रोत–विकास योजनाओं का संकलन (जिला संयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.)

पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति–

इस योजना का उद्वेश्य प्रदेश में कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्ययन करने अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

सारणी क्रमांक 2
जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्थिति

क्र.	वर्ग	समूह विषय	छात्रावासी	दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें गैर छात्रावासी
01	1	चिकित्सा इंजीनियरिंग और साइंस वित्त प्रबंधन समूह	1500.00	**330.00**
02	2	आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, प्रौद्योगिक विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	510.00	**330.00**
03	3	सभी स्नातक स्तर से उच्च स्तर के पाठ्यक्रम जो प्रथम वर्ष द्वितीय समूह में सम्मिलित नहीं है।	355.00	**185.00**
04	**4**	**सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं 12वीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष।**	**235.00**	**140**

स्रोत–विकास योजनाओं का संकलन (जिला संयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.)

उपरोक्त सारणी को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया जिसका विषय व समूह के अनुसार विवरण दिया गया है।

सारणी क्रमांक 3

क्र.	समूह	विवरण	अध्ययन का वर्ष	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर प्रति माह			
				छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
				छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
01	समूह "अ"	मेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट गुजरट कोर्स (भारत सरकार की योजना अंतर्गत)	प्रथम वर्ष	425	425	190	190
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	425	425	190	190
		बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	185	200	100	115
		उच्च तकनीकी तथा तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं है।) में पोस्ट गुजरट डिग्री	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	185	200	110	115
02	समूह "आ"	मेडिकल तथा इंजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	130	145	105	120
		भारतीय चिकित्सा (यथा आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बिया तथा होम्योपैथिक एवं चिकित्सा पद्धति) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	130	145	105	120
		नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट गुजरट पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के वर्ष	130	145	105	120
03	समूह "इ"	इंजीनियरिंग/प्रौद्यागिकी, आर्किटेक्चर तथा मेडिसिन में प्रमाण पत्र	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
			द्वितीय वर्ष एवं बाद के	130	145	105	120

स्रोत– विकास योजनाओं का संकलन (जिला संयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.)

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना–

यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में ऐसी कन्याएँ जो कक्षा 6वीं 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश लेती हैं उन्हें क्रमशः 500, 1000, एवं 3000 रुपया प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है यह राशि छात्र वृत्ति के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।

विद्यार्थी कल्याण योजना–

आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता दी जाती है। जैसे आकस्मिक विपत्ति में सहायता, विशेष रूप पोड़ित होने पर रोग निवारण हेतु, विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन हेतु सहायता, लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद आदि में भाग लेने हेतु सहायता, आदि इस प्रकार यह सहायता 1000 से 25000 रुपया तक की दी जाती है।

रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना–

यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा वार्षिक पुरस्कार है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दिया जाता है। जो प्रदेश में 10वीं 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाता है एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शंकर शाह पुरस्कार दिया जाता है। जिसकी राशि निम्न सारणी दर्शाई गई है।

सारणी क्रमांक 4

क्र.	शंकरशाह पुरस्कार अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये	रानी दुर्गावती पुरस्कार अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिये
	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने पर	कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने पर
01.	पथम पुरस्कार रू. 20000.00	**प्रथम पुरस्कार रू. 20000.00**
02.	द्वितीय पुरस्कार रू. 15000.00	**द्वितीय पुरस्कार रू. 15000.00**
03	तृतीय पुरस्कार रूपये 10000	**तृतीय पुरस्कार रूपये 10000.00**
	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर	**कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर**
01	प्रथम पुरस्कार रू. 30000.00	**प्रथम पुरस्कार रू. 30000.00**
02	द्वितीय पुरस्कार रू. 20000.00	**द्वितीय पुरस्कार रू. 20000.00**
03	**तृतीय पुरस्कार रूपये 10000**	**तृतीय पुरस्कार रूपये 10000.00**

स्रोत– विकास योजनाओं का संकलन (जिला संयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.)

छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की दरं–

यह योजना भारत सरकार अनूसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बनाये गये नियमों यथा नियम 5 (1) एवं नियम 5 (111) में उल्लेखित दरों के अनुसार देय होगी। शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि राज्य शासन के कालेजों से उक्त पाठ्यक्रमों हेतु देय शुल्क तक सीमित होगी।

पब्लिक स्कूल एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना–

इस योजना में सैनिक स्कूल एवं प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के शुल्क की प्रति पूर्ति की जाती है। जैसे सैनिक स्कूल रीवा, डेली कॉलेज इंदौर जैसी विशिष्ट स्कूलों म अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 10–10 सीट आरक्षित कराई गई है। इसमें प्रवेश के बाद छात्रों की स्कूल फीस, अन्य शुल्कों का वहन राज्य शासन के विभाग द्वारा किया जाता है।

विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना–

अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के विद्यार्थी जो स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए विदेशों में अध्ययन करना चाहते हैं। उन्हें राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम 15 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है।

सारणी क्रमांक 5
शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न योजनाएँ

क्र.	योजनाएँ	उपलब्धता	
		हाँ	नहीं
1	राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति (मेरिट)	15	—
2	राज्य स्तरीय छात्र वृत्ति	20	—
3	निः शुल्क शिक्षा	18	—
4	जनजातीय छात्रों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	21	—
5	अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ आदि कोई हो तो	01	15
	योग	85	15

स्रोत–जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा

उक्त सारणी में रीवा जिले में विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन कर रहे जनजातीय छात्रों के लिए शासन के विभिन्न योजनायों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

संदर्भ–

1 उपाध्याय विजयशंकर एवं शर्मा विजय प्रकाश (1989) भारत की जनजातीय संस्कृति म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
2 शर्मा डॉ.बी.डी. आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी, भोपाल
3 नेताम, कैलाश सिंह, शहडोल जिले के आदिवासियों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, पी–एच.डी. शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा।
4 डा. हीरालाल–म.प्र. का इतिहास, साहित्य ग्रन्थ अकादमी, भोपाल